



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032020-218928
CG-DL-E-26032020-218928

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]
No. 173]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 2020/चैत्र 6, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 2020/CHAITRA 6, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2020

सा.का.नि. 220(अ).—केन्द्र सरकार इस बात से अवगत है कि महामारी COVID-19 के कारण उत्पन्न होने वाली आपातकालीन स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं के द्वार पर दवाओं की खुदरा विक्री आवश्यक है, और सार्वजनिक हित में, उपभोक्ताओं को दवाओं की डिलीवरी के लिए दवाओं की विक्री और वितरण को विनियमित करना आवश्यक और समीचीन है;

अतः, अब, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार यह निर्देश देती है कि यदि कोई व्यक्ति औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के तहत फॉर्म -20 या फॉर्म -21 में विक्रय, स्टॉक करने या बेचने के लिए प्रदर्शित करने या बेचने के लिए, या रिटेल द्वारा औषधि वितरित करने के लिए, लाइसेंस रखता है, और नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक मादक द्रव्य अधिनियम, 1985 (1985 का 61) में परिभाषित नशीले पदार्थों, मनोचिकित्सा और नियंत्रित पदार्थों और उक्त नियमों की अनुसूची H1 और अनुसूची X में निर्दिष्ट औषधियों को छोड़कर, अनुसूची 'एच' में निर्दिष्ट औषधियों सहित किसी भी औषधि की डोरस्टेप डिलीवरी के साथ खुदरा विक्रय का इरादा रखता है, तो लाइसेंसधारी ऐसा कर सकता है बशर्ते कि अनुसूची एच में निर्दिष्ट किसी भी औषधि की विक्री शारीरिक रूप से या ई-मेल के माध्यम से चिकित्सा निर्देश की प्राप्ति पर आधारित होगी और दवाओं की ऐसी विक्री निम्नलिखित अन्य शर्तों के अधीन होगी:

- (क) यदि चिकित्सा निर्देश ईमेल के माध्यम से प्राप्त किए जाने हैं तो लाइसेंसधारक लाइसेंसिंग प्राधिकरण के साथ पंजीकरण के लिए एक ई-मेल आईडी प्रस्तुत करेगा।

- (ख) औषधियों की आपूर्ति उसी राजस्व जिले के भीतर स्थित मरीजों के द्वार पर की जाएगी जहां लाइसेंसधारी स्थित है।
- (ग) पुरानी बीमारियों के मामले में औषधि तभी वितरित की जाएगी यदि चिकित्सा निर्देश को जारी करने के 30 दिनों के भीतर लाइसेंसधारक को प्रस्तुत किया गया हो, और तीव्र मामलों में तभी वितरित की जाएगी जब चिकित्सा निर्देश जारी होने के 7 दिनों के भीतर लाइसेंसधारक को प्रस्तुत किया गया हो।
- (घ) बिल या कैश मेमो रिटर्न ईमेल द्वारा भेजा जाएगा और ऐसे सभी लेनदेन के रिकॉर्ड लाइसेंसधारी द्वारा रखे जाएंगे।
2. यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 18-04/2020-DC]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2020

G.S.R. 220(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that retail sale of drugs to the doorstep of consumers is essential to meet the requirements of emergency arising due to pandemic COVID-19 and in the public interest, it is necessary and expedient to regulate the sale and distribution of drugs for their delivery to the consumers;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 26B of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby directs that in case any person holding a license in Form-20 or Form-21 under the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 to sell, stock or exhibit or offer for sale, or distribute drugs by retail, intends to sell any drug including the drugs specified in Schedule H except narcotics, psychotropics and controlled substances as defined in the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) and the drugs as specified in Schedule H1 & Schedule X to the said rules, by retail with doorstep delivery of the drug, the licensee can sell such drugs subject to the condition that any such sale of a drug specified in Schedule H shall be based on receipt of prescription physically or through e-mail and such sale of drugs shall further be subject to the following conditions:

- (i) The licensee shall submit an e-mail ID for registration with the licensing authority if prescriptions are to be received through email.
 - (ii) The drugs shall be supplied at the doorstep of the patients located within the same revenue district where the licensee is located.
 - (iii) In case of chronic diseases, the prescription shall be dispensed only if it is presented to the licensee within 30 days of its issue and in acute cases, the prescription shall be dispensed only if it is presented to licensee within 7 days of its issue.
 - (iv) The bill or cash memo shall be sent by the return email and records of all such transactions shall be maintained by the licensee.
2. This order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 18-04/2020-DC]

Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.